न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 69/2022 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 09.03.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/69

डालू पिता गमेरा जाट जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी लुणेरा, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये पटवार हल्का उसरोल, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.02.2022 न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर, बमिसल क्रमांक 08/2022

उपस्थितिः–1– श्री सावन श्रीमाली, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 04.09.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में पटवार हल्का उसरोल द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलांट ने फसल रबी सम्वत् 2078 के दौरान ग्राम लुणेरा की आराजी नम्बर 1303 रकबा 0.15 है. किस्म सिवायचक रास्ता के रकबा 0.05 हैक्टेयर पर तारबन्दी कर झाडियां लगा कर कब्जा करने के संबंध में की गई रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भूराजस्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्वर्ती कब्जाधारी मानते हुए अपीलांट के विरूद्ध तीन माह के सिविल कारावास, जुर्माना लगान 1/-रू. का 50 गुणा यानि 50/-रू. शास्ति एवं बेदखली करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, भूपालसागर से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का उसरोल की रिपोर्ट की, अपीलांट द्वारा फसल रबी सम्वत् 2078 में ग्राम लुणेरा की आराजी नम्बर 1303 रकबा 0.15 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर रास्ते की भूमि पर तारबन्दी कर झाडियां लगा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास, जुर्माना लगान 1/-रू. का 50 गुणा शास्ति एवं बेदखल करने के आदेश पारित किये जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का उसरोल ने तारबंदी एवं झाडियां लगाकर कब्जा करने संबंधी गलत तथ्यों का उल्लेख किया है। देवीलाल पिता कालू गाडरी निवासी बडी, गांव से गलत तरीके से रास्ता कायम करने के उद्धेश्य से उसकी आराजी नं. 1265 से लगे हुए रास्ते से आराजी नम्बर 1303 में प्रवेश करना चाह रहा है और नया रास्ता कायम करना चाह रहा है इसलिए उसके द्वारा गलत रिपोर्ट एवं शिकायत प्रस्तुत की है। प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 में उक्त विवादित आराजीयात के संबंध में ऐसी कोई मौका रिपोर्ट नहीं बनाई गई है और न ही इसकी कोई जानकारी अपीलांट को रही है। पटवारी हल्का उसरोल द्वारा देवीलाल गाडरी को नाजायज लाभ पहुंचाने एवं रास्ता कायम कराने के उद्धेश्य से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है जबकि अपीलांट द्वारा कोई अतिक्रमण एवं अतिचार नहीं किया गया है। अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार

Web Copy - Not Official

फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 22.02.2022 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि बिलानाम रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से तारबन्दी एवं झाडियां लगाकर अतिक्रमण कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली, शास्ति एवं सिविल कारावास से दण्डित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार पटवारी हल्का उसरोल ने ग्राम लुणेरा की आराजी नम्बर 1303 रकबा 0.15 है. किस्म रास्ता में से रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट द्वारा तारबन्दी कर झाडियां लगा रखी होना बताया है तथा परिवाद होने से पूर्व में भी बेदखल किया गया परन्तु पुनः अतिक्रमण कर लिया जाना बताया है।

चूंकि अपीलांट ने विवादित आराजीयात पर उसका वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं कब्जा नहीं होना बताया है लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए तीन माह के सिविल कारावास की सजा को उन्मोचित (Quashed) करते हुए शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official